

अध्याय-4

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमाँ से संबन्धित
अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

अध्याय-4

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

ऊर्जा विभाग

4.1 एक चूककर्ता इकाई के माध्यम से बिक्री के कारण अतिदेय का संचय

उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने फर्म, जो अपने भुगतानों में चूक कर रही थी, के साथ विद्युत विक्रय अनुबंधों को बार-बार नवीनीकृत किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 52.94 करोड़ का अधिक बकाया संचित हो गया।

उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) एक राज्य विद्युत वितरण संस्था है। राज्य की मांग को पूरा करने के बाद, यू पी सी एल अधिशेष विद्युत को, जब कभी भी उपलब्ध हो, ऊर्जा एक्सचेंजों में लाइसेंस प्राप्त विद्युत व्यापारी के माध्यम से बेचता है।

यू पी सी एल के अभिलेखों की जाँच (अगस्त 2020) के दौरान तथा अन्य एकत्रित की गई सूचना में यह पाया गया कि अधिशेष विद्युत की बिक्री के लिए, यू पी सी एल नीचे तालिका-4.1.1 में दिये गए विवरण के अनुसार मैसर्स क्रिएट एनर्जी (आई) प्राइवेट लिमिटेड [पूर्व में मैसर्स मित्तल प्रोसेसर (पी) लिमिटेड (फर्म) के रूप में जाना जाता था] के साथ अनुबन्ध गठित कर रहा था, चूंकि यू पी सी एल के पास किसी भी ऊर्जा एक्सचेंज के माध्यम से विद्युत के व्यापार के लिए सदस्यता नहीं थी।

तालिका-4.1.1: फर्म के साथ अनुबंधों का विवरण

क्रम सं.	अनुबंध की तिथि	अनुबंध की अवधि	नया अनुबंध करते समय बकाया धनराशि (₹ लाख में)	अनुबंध के अनुसार भुगतान की देय तिथि ('T' ट्रेडिंग दिवस को दर्शाता है)
1	28/09/2016	28/09/2016 से 30/09/2017	प्रारम्भिक अनुबंध	T+5
2	28/09/2017 (अनुपूरक अनुबंध)	01/10/2017 से 31/12/2017	81.99	T+5
3	29/12/2017	01/01/2018 से 31/12/2018	122.42	T+3
4	26/12/2018 (अनुपूरक अनुबंध)	01/01/2019 से 31/12/2019	53.01	T+3
5	28/12/2019	01/01/2020 से 31/12/2021	09.04	T+3

अनुबंधों में प्रावधान था कि देय तिथि¹ के बाद बकाया बिल धनराशि पर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विलंब भुगतान अधिभार (एल पी एस) लगेगा जिसकी नियत तिथि के पश्चात विलंब के दिनों की संख्या के लिए दैनिक गणना की जाएगी। फर्म से ₹ 10.00 लाख की अनुबन्ध निष्पादन प्रत्याभूति (सी पी जी) भी प्राप्त की गई थी।

यह पाया गया कि फर्म, 09 नवंबर 2016 से अनुबंध के अनुसार ऊर्जा एक्सचेंज के माध्यम से बेची गई विद्युत हेतु यू पी सी एल को समय पर भुगतान नहीं कर रही थी। 27 मार्च 2020 से 21 जून 2020 की अवधि के दौरान बकाया बढ़कर ₹ 75.74 करोड़ हो गया। फर्म द्वारा देरी से भुगतान किए जाने के बावजूद, यू पी सी एल की स्थायी समिति ने 29 दिसंबर 2017 और 28 दिसंबर 2019 को आवंटित कार्यों की निविदाओं का मूल्यांकन करते समय फर्म के प्रदर्शन

¹ 'देय तिथि' फर्म द्वारा बिलों की भुगतान तिथि है जो ट्रेडिंग दिवस से पांच/तीन दिन (टी + 5/3) पश्चात है। फर्म द्वारा सभी भुगतान केवल आर टी जी एस/एन ई एफ टी मोड द्वारा किए जाने थे।

और भुगतान में चूक का संज्ञान नहीं लिया था तथा ट्रेडिंग मार्जिन के न्यूनतम प्रस्ताव के आधार पर कार्य आवंटित किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, सचिव (ऊर्जा) द्वारा फर्म के विरुद्ध लम्बित बकाया के निपटान के लिए एक समिति² का गठन (09 सितंबर 2020) किया गया था। समिति ने 11 सितंबर 2020 को ₹ 75.74 करोड़ (मूलधन: ₹ 54.77 करोड़ + एल पी एस ₹ 20.97 करोड़) के बकाया की पुष्टि की और बताया (18 सितंबर 2020) कि, फर्म विक्रय की गई विद्युत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का भुगतान नहीं कर रही थी और अलग-अलग तिथियों पर केवल तदर्थ भुगतान जारी किए थे जो कई तिथियों पर वास्तविक देय धनराशि से कम थे। इस प्रकार, अनेक तिथियों पर फर्म द्वारा मूल धनराशि अदत्त रही जिसके परिणामस्वरूप फर्म के विरुद्ध दैनिक आधार पर प्रभार्य 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से एल पी एस देय हुआ। प्रभार्य एल पी एस की दैनिक आधार पर निरंतर प्रयोज्यता के कारण बकाया देय दैनिक आधार पर परिवर्तनीय थे और, इसलिए, इसे अनंतिम माना जाना चाहिए।

यू पी सी एल द्वारा अनुसरण किए जाने के पश्चात, फर्म ने 11 सितम्बर 2020 से 30 जून 2021 के दौरान केवल ₹ 27.35 करोड़ का भुगतान किया और यू पी सी एल ने फर्म द्वारा जमा की गई कार्य सी पी जी को जब्त कर ₹ 10 लाख की वसूली (दिसंबर 2021) की। फर्म ने ₹ 25.00 करोड़ धनराशि के पाँच पश्च दिनांकित चेक (पी डी सी) भी प्रस्तुत किए (मार्च 2021)। तथापि, उक्त पी डी सी से भुगतान प्राप्त नहीं हुआ और यू पी सी एल द्वारा कानूनी नोटिस जारी किए गए (जुलाई 2021)। दिसम्बर 2021 तक, फर्म से ₹ 27.32 करोड़ की मूल धनराशि तथा ₹ 25.62 करोड़ की एल पी एस प्राप्त होनी शेष थी।

इस प्रकार, प्रथम अनुबंध गठित होने के पश्चात से ही फर्म द्वारा अनियमित रूप से भुगतान किए जाने के बावजूद भी, यू पी सी एल ने फर्म के प्रदर्शन का आकलन किए बिना ही उसी फर्म को कार्य का आवंटन जारी रखा, जो दर्शाता है कि फर्म को यू पी सी एल द्वारा अनुचित रूप से लाभान्वित किया गया था।

यह भी उल्लेखनीय है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (आई ई एक्स), यू पी सी एल द्वारा इस फर्म को बेची गई विद्युत के लिए धनराशि का भुगतान नियमित आधार पर कर रहा था और आई ई एक्स के पास कोई भुगतान लंबित नहीं था। इसके बावजूद, फर्म ने या तो देय तिथियों पर बेची गई विद्युत के भुगतान में देरी की या यू पी सी एल को नियत वास्तविक देय धनराशि के सापेक्ष कम जमा किया, जिससे स्पष्ट था कि फर्म धनराशि का व्यपवर्तन कर रही थी और जान-बूझकर एक चूककर्ता थी।

शासन ने लेखापरीक्षा तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (फरवरी 2022) कि फर्म का चयन उचित निविदा प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात किया गया था और इसे कोई अनुचित लाभ नहीं दिया गया था। ₹ 25.00 करोड़ धनराशि के पाँच अस्वीकृत चेकों के संबंध में, फर्म के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। माननीय न्यायालय ने चूककर्ता फर्म के प्रबंध निदेशक के विरुद्ध जमानती वारंट जारी (08 दिसम्बर 2021) किया है।

यद्यपि शासन का उत्तर लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पुष्टि करता है, परन्तु यह ₹ 25.62 करोड़ की एल पी एस की वसूली के संबंध में मूक है।

² समिति में अपर सचिव (वित्त/ऊर्जा), उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में राज्य के सभी तीन विद्युत क्षेत्र की संस्थाओं (यू पी सी एल, यू जे वी एन एल एवं पी टी सी यू एल) के निदेशक (वित्त) सम्मिलित थे।

यू पी सी एल की ओर से फर्म के प्रदर्शन का आकलन तथा बकाया देय धनराशि के अनुश्रवण में लापरवाही किए जाने के परिणामस्वरूप, ₹ 52.94 करोड़ के अतिदेय का संचयीकरण हुआ (दिसंबर 2021 तक मूलधन की धनराशि ₹ 27.32 करोड़³ तथा ₹ 25.62 करोड़ की अप्राप्त एल पी एस)।

यू जे वी एन लिमिटेड

4.2 आयकर पर दण्डात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान

सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार अग्रिम कर जमा करने हेतु अपनी आय का आकलन करने में यू जे वी एन लिमिटेड की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.50 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 208 के प्रावधानों के अनुसार, अग्रिम कर एक वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में देय होता है जहाँ उस वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा देय ऐसे कर की धनराशि ₹ 10,000 से अधिक होती है। अधिनियम की धारा 234(बी) में प्रावधान है कि यदि भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर के 90 प्रतिशत से कम है, तो उस धनराशि, जिसपर भुगतान किया गया अग्रिम आयकर निर्धारित कर से कम हो जाता है, तो अधिनियम के अंतर्गत निर्धारण वर्ष के एक अप्रैल से आय के निर्धारण की तिथि तक, प्रत्येक माह या उसके भाग हेतु एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज आरोपणीय है।

आगे, अधिनियम की धारा 234(सी) में अग्रिम कर⁴ की किस्त के कम भुगतान की धनराशि पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय किस्त के भुगतान में कमी की स्थिति में तीन माह की अवधि हेतु तथा अंतिम किस्त के भुगतान में कमी की स्थिति में एक माह हेतु एक प्रतिशत की दर से ब्याज के भुगतान का प्रावधान है।

यू जे वी एन लिमिटेड (कंपनी) की लेखापरीक्षा (नवंबर 2019/जनवरी 2021) के दौरान यह पाया गया कि कंपनी वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान देय अग्रिम आयकर की धनराशि की गणना हेतु अपनी आय का आकलन/अनुमान लगाने में विफल रही। जिसके परिणामस्वरूप, कंपनी ने अग्रिम कर के भुगतान में देरी की और अंततः धारा 234(बी) एवं धारा 234(सी) के अंतर्गत ₹ 3.50 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना पड़ा, जिसका विवरण नीचे तालिका-4.2.1 में दिया गया है।

³ कुल बकाया मूल धनराशि ₹ 61.25 करोड़ - ₹ 33.73 करोड़ की वसूल की गई धनराशि = ₹ 27.52 करोड़ की धनराशि वसूल की जानी है (सितंबर 2022 तक)।

⁴

देय तिथि	देय अग्रिम कर
पिछले वर्ष के 15 जून को या उससे पहले	देय अग्रिम कर का कम से कम 15 प्रतिशत
पिछले वर्ष के 15 सितंबर को या उससे पहले	देय अग्रिम कर का कम से कम 45 प्रतिशत
पिछले वर्ष के 15 दिसंबर को या उससे पहले	देय अग्रिम कर का कम से कम 75 प्रतिशत
पिछले वर्ष के 15 मार्च को या उससे पहले	देय अग्रिम कर का कम से कम 100 प्रतिशत

तालिका-4.2.1: भुगतान किए गए ब्याज का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
धारा 234 (ब)	1.12	0.12	0.17	0.06	1.47
धारा 234 (स)	1.71	0.14	0.14	0.04	2.03
कुल	2.83	0.26	0.31	0.10	3.50

वर्ष 2015-16 के लिए आयकर विभाग को किए गए प्रमुख ब्याज भुगतान (₹ 2.83 करोड़) के कारणों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) ने कंपनी को 18 समान मासिक किस्तों में यू पी सी एल से लंबे समय से लंबित क्षमता शुल्क (सी सी) और क्षमता सूचकांक प्रोत्साहन (सी आई आई) प्राप्त करने की अनुमति दी गई (अप्रैल 2015)। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2012-13 तक सी सी और सी आई आई के आधार पर कंपनी को यू पी सी एल से ₹ 102.21 करोड़ प्राप्य हो गए। यद्यपि प्राप्य धनराशि के संबंध में अनंतिम समाधान को यू पी सी एल के साथ अगस्त 2015 में अंतिम रूप दे दिया गया था लेकिन अग्रिम कर देयता का निर्धारण करते समय उस पर विचार नहीं किया गया। कंपनी ने अंतिम कर निर्धारण (जुलाई 2016) के समय देय कर का भुगतान किया, जिस पर धारा 234(बी) और 234(सी) के अन्तर्गत ब्याज लगा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 51.40 करोड़ आयकर तथा उस पर ₹ 2.83 करोड़ ब्याज की देयता हुई।

आगे, यह भी पाया गया कि वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए कंपनी अग्रिम कर की पहली किस्त (कुल अग्रिम कर का 15 प्रतिशत) को देय तिथि पर अर्थात् संबंधित वर्ष के 15 जून तक जमा करने में विफल रही। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने किसी अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया और केवल टी डी एस⁵ के रूप में कर जमा किया गया था।

शासन ने अवगत कराया (फरवरी 2022) कि कंपनी को आयकर अधिनियम की धारा 115 जे बी के अन्तर्गत, न्यूनतम वैकल्पिक कर के प्रावधानों का पालन करना होगा, जिसकी गणना कंपनी की अंतिम बैलेंस शीट में दर्शाए गये बुक प्रोफिट पर की गई है; (ii) वर्ष 2015-16 हेतु, कंपनी ने धारा 234(बी) और 234(सी) के अन्तर्गत ब्याज का भुगतान किया, जो कि वर्ष के अंत में 17 मार्च 2016 को आयकर विभाग के आदेश से सृजित ₹ 102.21 करोड़ की आय के कारण था; (iii) कंपनी का राजस्व जल विज्ञान और मशीनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है जिसका सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, नियामक समायोजनों और विभिन्न वैधानिक निकायों द्वारा जारी किए गए विभिन्न संशोधन, आदेश और प्रावधान से कंपनी के लाभ में भिन्नता आती हैं। वर्ष के लिए व्यय, अनुमान के आधार पर माना जाता है जबकि वास्तविक व्यय, अनुमान से भिन्न हो सकता है; और (iv) कंपनी ने मनेरी भाली II (एम बी II) परियोजना के लाभ के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 आई ए के अंतर्गत छूट का दावा किया है।

शासन के तर्क मान्य नहीं हैं क्योंकि अधिनियम की धारा 115 जे बी के अन्तर्गत मूल्यांकित कंपनियों सहित सभी कंपनियों को अग्रिम आय का आकलन करना और लागू अग्रिम कर का भुगतान करना आवश्यक है जोकि निर्धारित कर के 90 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए; (ii) वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 102.21 करोड़ की आय के संबंध में सी सी और सी आई आई के

⁵ टी डी एस ₹ 34.01 लाख था जो कुल कर देयता का 28.79 प्रतिशत था।

कारण देयता उत्पन्न हुई जिसके लिए कंपनी के पास अग्रिम कर देयता का आकलन करने के लिए पर्याप्त समय था क्योंकि इस संबंध में यू ई आर सी के आदेश अप्रैल 2015 में जारी किए गए थे जिसे अगस्त 2015 में यू पी सी एल के साथ अनंतिम रूप से निपटाया गया था। इसी आधार पर आयकर विभाग ने पिछली अवधि की आय को 2015-16 की आय के रूप में निर्धारण की अनुमति दी (मार्च 2016); (iii) जल-विद्युत का उत्पादन कंपनी की मुख्य गतिविधि है, और विद्युत के दैनिक उत्पादन को इसकी सभी विद्युत परियोजनाओं द्वारा दैनिक आधार पर दर्ज किया जाता है तथा व्यय में भिन्नता एक सामान्य प्रक्रिया है। तथापि, भिन्नता के समर्थन में कोई विशिष्ट डेटा जिसने अग्रिम कर के निर्धारण को प्रभावित किया था, प्रस्तुत नहीं किया गया था; और (iv) एम बी ॥ सहित कंपनी की सभी परियोजनाओं का उत्पादन दैनिक आधार पर दर्ज किया जाता है तथा यू ई आर सी द्वारा टैरिफ भी काफी पहले से अनुमोदित किया जाता है, इसलिए, एम बी ॥ के लाभ पर भी कंपनी का विवरण प्रासंगिक नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने ब्याज भुगतान में छूट प्राप्त करने हेतु आयकर विभाग के साथ अग्रिम रूप से आय का अनुमान लगाने में कठिनाई का मुद्दा कभी नहीं उठाया।

इस प्रकार, तिमाही आधार पर आय का अनुमान लगाने में कंपनी के विफल रहने के परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम की धारा 234(बी) और 234(सी) के अन्तर्गत ₹ 3.50 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

राज्य परिवहन विभाग

4.3 सेवा कर, अर्थदण्ड और ब्याज की परिहार्य देयता

उत्तराखण्ड परिवहन निगम ने वातानुकूलित बसों के यात्रियों से सेवा कर के अधिरोपण और संग्रहण का आदेश विलम्ब से जारी किया जिसके कारण ₹ 54.46 लाख का सेवा कर न तो वसूल किया गया और न ही सेवा कर विभाग के पास जमा किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 54.46 लाख के सेवा कर तथा उस पर ₹ 27.23 लाख के अर्थदण्ड एवं ₹ 28.46 लाख ब्याज की परिहार्य देयता सृजित हुई।

वातानुकूलित (ए सी) बसों द्वारा यात्रियों के परिवहन की सेवा को भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा दिनांक 01 मार्च 2016 को जारी अधिसूचना संख्या-09/2016-सेवा कर के माध्यम से सेवा कर की परिधि में सम्मिलित किया गया था। तदनुसार, राज्य परिवहन निगमों द्वारा ए सी स्टेट कैरिज (किराए की ए सी बसों) के यात्रियों से सेवा कर का अधिरोपण तथा संग्रहण किया जाना था और इसे सरकार के पास जमा किया जाना था। 1 जून 2016 से, ए सी बसों से राजस्व के संबंध में निगम द्वारा प्राप्त कुल धनराशि के 40 प्रतिशत पर सेवा कर लागू था।

वित्त अधिनियम, 1994 (अधिनियम) के अध्याय V की धारा 76 के अनुसार, सेवा कर का भुगतान करने में असफल रहने पर अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा जोकि ऐसी विफलता जारी रहने की अवधि के दौरान प्रत्येक दिन हेतु सौ रुपये से कम नहीं होगा या ऐसी कर धनराशि का दो प्रतिशत प्रतिमाह, जो भी अधिक हो, बशर्ते कि अर्थदण्ड की कुल धनराशि देय सेवा कर के 50 प्रतिशत से अधिक न हो। साथ ही, अधिनियम की धारा 75 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति, जोकि कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और निर्धारित अवधि के भीतर केंद्र सरकार के खाते में कर या उसके किसी भाग को जमा करने में विफल रहता है, तो साधारण ब्याज का भुगतान ऐसी दर पर करेगा जोकि 10 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम और 36 प्रतिशत से अधिक न हो।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम (निगम) के अभिलेखों की जाँच (दिसंबर 2020) में पाया गया था कि निगम ने सेवा कर की प्रयोज्यता के संबंध में एक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सलाह ली थी, जिसने स्पष्ट किया (10 मई 2016) था कि अधिसूचना संख्या-09/2016 दिनांक 01 मार्च 2016 के अनुसार 01 जून 2016 से ए सी बसों पर सेवा कर लागू है। स्पष्टीकरण के पश्चात भी, लागू किए गए सेवा कर की वसूली हेतु किराया बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को 05 जुलाई 2016 अर्थात् 35 दिनों से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव को निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा अंततः 14 जुलाई 2016 को स्वीकृत किया गया तथा किराये में बढ़ोत्तरी के आदेश को 15 जुलाई 2016 को जारी किया गया। इस प्रकार, ए सी बसों के यात्रियों से सेवा कर की वसूली 16 जुलाई 2016 से की जा सकी, अर्थात् सेवा कर लागू होने के 45 दिनों के विलम्ब के बाद।

सेवा कर अधिरोपित एवं वसूलने में निगम द्वारा देरी से कार्यवाही किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 54.46 लाख सेवा कर तथा उस पर ब्याज की परिहार्य देयता सृजित हुई जैसा कि तालिका-4.3.1 में वर्णित किया गया है।

तालिका-4.3.1: सेवा कर देयता और उस पर ब्याज का विवरण

माह एवं वर्ष	विलम्ब (माह में)	धनराशि जिस पर सेवा कर देय है (₹ में)	सेवा कर की धनराशि (कॉलम 3 के 40 प्रतिशत का 15 प्रतिशत (₹ में))	देय अर्थदण्ड ⁶ (कॉलम 4 का एक प्रतिशत x कॉलम 2) (₹ में)		अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत ब्याज ⁷ (₹ में)	कुल (₹ में)
				5	6 ⁸		
1	2	3	4	5	6 ⁸	7	8 (6+7)
जुलाई 2016 से सितम्बर 2021	63	6,54,45,121	39,26,707	24,73,825	19,63,354	20,61,521	40,24,875
अगस्त 2016 से सितम्बर 2021	62	2,53,17,452	15,19,047	9,41,809	7,59,524	7,84,841	15,44,365
योग			54,45,754		27,22,878	28,46,362	55,69,240

इस संबंध में, निगम को अप्रैल 2019 में महानिदेशक, वस्तु एवं सेवा कर इंटेलिजेंस से दो मांग सह कारण बताओ नोटिस⁹ भी प्राप्त हुए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ए सी बसों पर कम सेवा कर जमा करने की मांग भी सम्मिलित थी। निगम ने उपरोक्त मांग के सापेक्ष नवम्बर 2020 में प्रमुख आयुक्त, केन्द्रीय सेवा एवं वस्तु कर (अपील) के समक्ष अपील दाखिल की जिसे देहरादून प्रभाग हेतु अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निरस्त (मई 2021) कर दिया गया था। काठगोदाम प्रभाग हेतु अपील पर निर्णय लंबित था (नवंबर 2021)। अपील में भी निगम ने मांग को स्वीकार किया।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2021) और अवगत कराया कि ए सी बसों पर सेवा कर लगाने का मामला प्रबंध निदेशक द्वारा 16 जुलाई 2016 से कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित

⁶ अर्थदण्ड की गणना वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 76 के अंतर्गत दिए गए उदाहरण के अनुसार की गई है।

⁷ कॉलम 4 x 10 प्रतिशत x कॉलम 2/12 ।

⁸ वित्त अधिनियम 1994, की धारा 76 के अनुसार, अर्थदण्ड सेवा कर के 50 प्रतिशत तक सीमित है।

⁹ काठगोदाम संभाग (टनकपुर प्रभाग को आच्छादित करते हुए) तथा देहरादून संभाग (मुख्यालय एवं देहरादून प्रभाग को आच्छादित करते हुए) हेतु नोटिस संख्या 372 एवं 376 दिनांक 18.04.2019, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जून 2016 से जून 2017 तक की अवधि के लिए ए सी बसों पर सेवा कर के न्यून जमा के परिप्रेक्ष्य में काठगोदाम संभाग, हेतु ₹ 8.84 लाख तथा देहरादून संभाग हेतु ₹ 25.27 लाख की मांग सम्मिलित थी। तथापि, सेवा कर योग्य विभिन्न सेवाओं पर क्रमशः ₹ 1.45 करोड़ और ₹ 1.82 करोड़ की कुल मांग की गई थी।

किया गया था तथा निगम ने कार्यालय आयुक्त, सेवा कर, देहरादून और दिल्ली के समक्ष अपील दाखिल की है जो अभी लंबित है।

प्रबंधन का यह उत्तर कि प्रकरण अपील में लंबित है स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम द्वारा प्रमुख आयुक्त, देहरादून के समक्ष अपील में सेवा कर की देयता को पहले ही स्वीकार किया जा चुका है। प्रकरण केवल निर्धारण अधिकारी द्वारा सेवा कर की देयता की गणना के लिए विचारणीय सकल मूल्य (सेवा कर सहित) के संबंध में लंबित है। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा उस अवधि के दौरान किए गए संग्रहण पर देय सेवा कर की वास्तविक देयता की गणना की जा चुकी है।

इस प्रकार, निगम द्वारा ए सी बसों के यात्रियों से सेवा कर के संग्रहण हेतु किराये में वृद्धि का आदेश विलम्ब से जारी किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 54.46 लाख सेवा कर, उस पर ₹ 27.23 लाख का अर्थदण्ड एवं ₹ 28.46 लाख ब्याज की परिहार्य देयता सृजित हुई।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2021); उत्तर प्रतीक्षित है (सितंबर 2022)।

देहरादून
दिनांक: 08 दिसंबर 2022



(प्रवीन्द्र यादव)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 14 दिसंबर 2022



(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

